डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब०/1684/2026 दिनांक : 15 /07/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त अनुदानित, स्ववित्तपोषित, संघटक महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन एवं अभिलेख जमा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना के अंतर्गत संबद्ध अनुदानित, संघटक एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के पात्र प्राचार्यों एवं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सभी संबंधित शिक्षकों एवं प्राचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन प्रकिया से संबंधित निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

आवेदन प्रक्रिया

चरण–1: पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन

- यह योजना केवल संबद्ध अनुदानित (Aided) एवं स्ववित्तपोषित (Self&financed) महाविद्यालयों के अनुमोदित प्राचार्यों एवं अनुमोदित शिक्षकों के लिए है।
- सभी पात्र शिक्षक अतिशीघ्र उच्च शिक्षा पोर्टल https://hcmtcts-upsdc-gov-in/ पर लॉगिन कर अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का विवरण सावधानीपूर्वक भरते हुए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करें।

चरण–2: आवेदन का सत्यापन

- ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने के पश्चात उसका प्रिंटआउट निकालें।
- आवेदन पत्र का संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापन (Verification) ऑनलाइन तथा हार्डकॉपी दोनो में कराया जाए।

चरण–3: आवश्यक अभिलेख संलग्न करना

स्ववित्तपोषित शिक्षकों के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाए।

- विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन (Approval) की सत्यापित प्रति।
- नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति।
- गत वर्ष के उपस्थिति रजिस्टर की प्राचार्य द्वारा सत्यापित प्रति।
- विगत तीन वर्षों के वेतन खाते (Salary Account) का संबंधित बैंक द्वारा सत्यापित मूल बैंक स्टेटमेंट।
- उपर्युक्त सभी अभिलेखों पर संबंधित प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मुहर अनिवार्य होगी।

चरण–4: शपथपत्र एवं अंडरटेकिंग

- महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा रु 100 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह घोषित होगा कि यदि किसी शिक्षक की सेवाएँ महाविद्यालय द्वारा समाप्त की जाती है अथवा शिक्षक स्वयं सेवा छोड़ता है. तो उसका कैशलेस चिकित्सा कार्ड तत्काल महाविद्यालय में जमा करा लिया जाएगा। यदि सेवा समाप्ति/त्यागपत्र के उपरांत कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो उससे संबंधित समस्त वित्तीय दायित्व महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा वहन किया जाएगा।

- प्रत्येक शिक्षक से एक अंडरटेकिंग प्राप्त की जाएगी, जिसमें यह घोषित होगा कि आवेदन में सम्मिलित सभी परिवार के सदस्य वास्तव में उन पर आश्रित (Dependent) है तथा योजना के नियमों के अनुसार पात्र है।

परिवार के आश्रित सदस्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश

- परिवार के जिस सदस्य की मासिक आय रु 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ रुपये) से अधिक है, उसे आश्रित सदस्य के रूप में कैशलेस चिकित्ता कार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

आवेदन जमा करने संबंधी विशेष निर्देश

- प्राचार्य द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र एवं समस्त संलग्न अभिलेखों की हार्डकॉपी संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाए।
- सत्यापन की सुविधा हेतु प्रत्येक शिक्षक के आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का प्रथम क्रमांक (क्रमांक–1) विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र (Approval Letter) का ही रखा जाए। इसके उपरांत अन्य अभिलेख क्रमवार संलग्न किए जाएँ, जिससे सत्यापन कार्य सुगमता एवं शीघ्रता से संपन्न हो सके।

अतः सभी संबंधित प्राचार्य उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए आवेदन पत्र, आवश्यक अभिलेख, शपथपत्र एवं अंडरटेकिंग समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना की कार्यवाही तथा कुलसचिव स्तर पर उक्त का सत्यापन निर्वाध तथा अतिशीघ्र संपन्न किया जा सके।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
2. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Scan for Link